

11	उच्चतम शैक्षिक अहंता: (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ध्येय दे, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दे और वह वर्ष का ब्योरा दे जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)
----	---

B. Ed - वर्ष 1985 - श्री बुद्धी जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चण्डीबर, इलाहाबाद  
[ गोश्वपुर विश्वविद्यालय, गोश्वपुर ]  
M.A - वर्ष 2002 - श्री. ए. ए. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इलाहाबाद  
[ मूलानन्द विश्वविद्यालय, लोनपुर ]

सत्यापन  
मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथपत्र की अर्न्तवस्तु मेरे सर्वत्र ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि:-


(क) पूर्वोक्त भाग 'अ' की मद 5 और मद 6 और भाग 'आ' में उल्लिखित से भिन्न किसी मामले में मैं दोषसिद्ध नहीं हुआ हूँ या कोई मामला मेरे विरुद्ध लंबित नहीं है :

(ख) पूर्वोक्त भाग 'अ' की मद 7 और मद 8 तथा भाग 'आ' की मद 8, मद 9 और मद 10 में उल्लिखित से भिन्न मेरी, मेरे पति/मेरी पत्नी या मेरे आश्रितों की कोई भी सम्पत्ति या दायित्व नहीं है।

इससे स्थापन पर आज तारीख 16-01-14 को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी - 1. शपथपत्र, नगमन वाक्य करने के अंतिम दिन सायं 3.00 बजे तक चढ़ाया जाना चाहिए।  
2. शपथपत्र में, शपथ आदेश के समक्ष प्रथम बार भविष्यदे के समक्ष या भौदरी परिसर के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।  
3. स्त्री स्तन भरे जाने चाहिए और कोई स्तन खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी स्तन में कोई सूजन नहीं दी जानी है, तो, चमक स्थिति, या  
4. शपथ नहीं है - या "सत्य नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।  
5. शपथपत्र के दो टुकित होना चाहिए या सुमार्ग्यता और स्पष्टता लिखित होना चाहिए।



8. आस्तियों और दायित्वों के रूप में ब्यौरे					
विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क. जगम आस्तियां (कुल मूल्य)	1,994,015/-	3,58,927/-	4,50,000/-	2,85,281/-	2,000/-
ख. स्थावर आस्ति					
I. स्वाजित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
II. स्वयं के पश्चात् स्थावर संपत्ति के विकास/निर्माण लागत (यदि लागू हो)	भाग नहीं होता	भाग नहीं होता	भाग नहीं होता	भाग नहीं होता	भाग नहीं होता
III. (क) स्वाजित आस्तियों (कुल मूल्य)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ख) विरासती आस्तियों (कुल मूल्य) की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	1 करोड़ 5 लाख 00000	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9 दायित्व					
(i) सरकारी देय (कुल)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	K.P.S.B. सिविल, गानगौर 4,21,000/-	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10 दायित्व जो विवादग्रस्त हैं					
(i) सरकार के देय (कुल)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं



लालचंदन सिंह

(9) मृति या उपजीविका के ब्यारे :  
क. स्वयं प्रधानाध्यापिका राधा कृष्ण डी. कां. इन्टरिहानी, आलमगढ़, उ० प्र०

ख. पति/पत्नी कुछ नहीं

(10) मृत्यु या उप जीविका के ब्यारे :- 15,000/- प्रतिमाह

(प्रमाणपत्र/डिलोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यारे दें, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और यह वर्ष का ब्यारा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)

B. Ed. - वर्ष 1985 - श्री. दुर्गा भी रनातकीनार महाविद्यालय, चण्डीवर, भाजमगढ़  
[ गोखलपुर विश्वविद्यालय, गोखलपुर ]

M.A. - वर्ष 2002 - डी. यू. वी. रनातकीनार महाविद्यालय, आलमगढ़  
[ पूर्व-चाल विश्वविद्यालय, जौनपुर ]

भाग-ख

(11) नाम (क) के (1) से (10) में दिए गए ब्यारे का सार

1. अन्वर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुल		श्री/श्रीमती/कुल	
2. डाक का पूरा पता	लाल बिहारी माधव		लाल बिहारी माधव	
3. निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	गाम - किरानपुर, परत -		गाम - किरानपुर, परत -	
4. राजनीतिक दल का नाम जिसने अन्वर्थी को खड़ा किया है (अन्वर्थी निर्दलीय- लिखें)	महरीया, जिला - आलमगढ़		महरीया, जिला - आलमगढ़	
5. (i) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय द्वारा दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरहित किए गए हैं।	352 गेहगढ़ (दर) आलमगढ़, उ० प्र०		निर्दलीय	
(ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय/न्यायालयों ने सजाय ली है (ऊपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
6. उन मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
का स्वयं खता संख्या (पीएल)	शुन जिले अंतिम आठ-बर विवरणी फाइल की गई है		बराई गई कुल आय	
लाल बिहारी माधव	ADKPY4007A	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
मिहावती	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं



लालबिहारीमाधव

(ई) मैं, लोक वितीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(दिपणी) : कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यक्ति के नाम और रकम के अलग-अलग ब्यौरे दें।

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देय, बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	₹ 6,56,8 रिहाली आनमोद 4,21,000/- आहन रकम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	ऊपर उल्लिखित से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति/अस्तित्व के ऋण या देय, नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कोई अन्य दायित्व	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	दायित्वों का कुल योग	4,21,000/-	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ii)	सरकार के देय :	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	सरकारी आवास सुविधा से संबंधित विभाग को देय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	जल प्रदाय से सम्बन्धित विभाग को देय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	विद्युत प्रदाय से सम्बन्धित विभाग को देय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	टेलीफोन/मोबाइल की पूर्ति से सम्बन्धित विभागों को देय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	सरकारी परिवहन से सम्बन्धित विभाग को देय (सायुयान और हेलिकाप्टरों सहित)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	आयकर देय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	सम्पत्तिकर देय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	सेवाकर देय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर देय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	विक्रीकर देय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कोई अन्य देय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iii)	सरकारी सभी देयों का कुल योग	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवाद प्रस्तुत है यदि है तो अंतर्बलित रकम में उस प्राधिकारी का नाम लिखित करें जिसके समक्ष वह	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

Raghuvir Yadav  
 Noida  
 Govt. of Uttarakhand

राज्यपाल कार्यालय

(iii) वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) स्थान सर्वेक्षण संख्याक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
क्या विरासत संपत्ति है (हां या नहीं)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iv) आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) स्थान सर्वेक्षण संख्याक	ग्राम- विशुनपुर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	25.00 वर्ग फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	22.00 वर्ग फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
क्या विरासत संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	30 लाख रुप 1/6 शतक = 50 लाख	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(v) अन्य (जैसे संपत्ति में हित)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(vi) ऊपर (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	1. करोड़ 50 लाख रुप 5/6	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं



लगाये जायेगा




स्वास्थ्य आस्तियों के ब्यौरे (Details of Immovable Assets)

टिप्पणी:-

- संयुक्त स्वामित्व वाली सम्पत्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना
- इस रूप विधान में प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि का/के स्थान, सर्वेक्षण संख्यांक					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ii)	गैर-कृषि भूमि :					
	स्थान	कुछ नहीं				
	सर्वेक्षण संख्यांक					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं



गणपति नारायण





(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए एक वर्ष के कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में, मुझे न्यायालय द्वारा सिद्धदोष और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है

(क)	सम्बन्धित मामलो के अधिनियम (अधिनियमों), धारा (धाराओं) का ब्यारा और अपरोधो वर्णन जिनके लिए सिद्धदोष किया गया	कुछ नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या, और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	कुछ नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	कुछ नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील का ब्यौरा और वर्तमान प्रास्थिति :	कुछ नहीं


(7) यह कि मैं, अपनी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों (स्थायी और अस्थायी आदि) का नीचे देता हूं :

क. जंगम सम्पत्तियों का ब्यौरा (Details of movable assets):

टिप्पणी:-

1. संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उप दर्शित किया जाना है
2. निक्षेप/विनिधान की दिशा में, क्रम सं०, रकम, निक्षेप/विनिधान की दशा में, क्रम सं०, निक्षेप की तारीख, बैंक/संस्थान और शाखा के नाम सहित ब्यौरा दिया जाना है।
3. वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध-कंपनियों के वावत स्टाक एक्सचेंज में और कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिबेंचर का मूल्य।

4. आश्रित का वही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 75 के अंतर्गत में उसका है।



5. निक्षेप/विनिधान की वावत सहित रकम ब्यौरे पृथक रूप से दिया जाना है।



में ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं है जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किर गए हैं।


(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो यह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करना/ करनी):

(i) मेरे विरुद्ध ऐसे लंबित मामले जिसमें न्यायालय ने दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित किए हैं, निम्नलिखित है :-

(क)	संबंधित पुलिस थाना/ जिला/ राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएं	मामला - हवलदारजील जिला लखनऊ, 30.05.2020 से 12.09.2020, दिनांक - 18-11-2020 क्र.सं. - 1239/08, दिनांक - 12-02-09 क्र.सं. - 1239/08, दिनांक - 12-02-09 क्र.सं. - 101/15, दिनांक - 06-06-15 क्र.सं. - 1239/08 - धारा 143, 148, 341, 353, 323, 504, 3.P.C. व 7-क्रिमिनल ला क्रिमिनल क्र.सं. - 120/09, धारा 143, 148, 323, 504, 341, 153, 356, 30C, 423, 353, 352, 186, 188, 3.P.C. व 3-क्रिमिनल ला क्रिमिनल क्र.सं. - 101/15, धारा 143, 148, 323, 504, 3.P.C.
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	आरोप विरचित नहीं है।
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	कुछ नहीं।
(घ)	न्यायालय जिसने आरोप विरचित किये हैं।	कुछ नहीं।
(ङ)	तारीख जिसपर आरोप विरचित किये गये।	कुछ नहीं।
(च)	क्या सभी या किसी कार्यवाही पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा शोक लगाई गई है।	कुछ नहीं।

(ii) निम्नलिखित मामले मेरे विरुद्ध लम्बित है, जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है, उपर मद् (1) में लिखित मामलों के अलावा :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख :	कुछ नहीं।
(ख)	मामलों को ब्यौरा जिनमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, अधिनियमों की धाराओं और अपराधों का विवरण जिनमें संज्ञान लिया गया :	कुछ नहीं।
(ग)	संबंधित आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपील, पुनरीक्षण के लिए आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई है), के ब्यौरे	कुछ नहीं।



लखनऊ न्यायालय

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

“इलाहाबाद-झाँसी” खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निर्वाचन-2017


इलाहाबाद-झाँसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग - अ

मैं, लाल बिहारी यादव पुत्र/पुत्री/पत्नी मीता यादव आयु 57 जो आजमगढ़ का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

- (1) मैं एक अभ्यर्थी हूँ जिसे निर्दलीय (राजनैतिक दल) द्वारा खड़ा किया गया/निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में चुनाव में लड़ रहा हूँ।  
(\*जो लागू न हो उसे काट दे)
- (2) मेरा नाम (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) 352 [मैंहनगर (S.C.)], आजमगढ़ क्रम सं. 723 पर, भाग सं. 223 में प्रविष्ट है।
- (3) मेरा/मेरे 9450733131 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्या और yadavlabihari@gmail.com ई-मेल पता (यदि कोई हो) है।
- (4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रथिति के ब्यौरे और आय व फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पी0ए0एन0 (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी दर्शाई गई (रूप)
1. स्वयं	लाल बिहारी यादव	ADKPY4007 A	दाखिल नहीं	दाखिल नहीं
2. पुत्री या पत्नी	विद्यावती	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	कुछ नहीं
3. आश्रित -1	राधेश्याम यादव	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	कुछ नहीं
4. आश्रित -2	प्रियंका यादव	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	कुछ नहीं





दिनांक ..... मुख्य .....  
 कोषाध्यक्ष .....  
 जिला .....  
 विभाग .....  
 पत्र सं. 168 श्री. जे. एम. कामावत  
 ज.जी. डी.सी. (एड प्रो.)  
 हस्ताक्षर



UTTAR PRADESH 90AC 951936

समस्त शीकात निवासी राधिका देवी वरुण चन्द्रावती - केशी गण्डक सीमा

शीकात जी - वान हवा मिकजागित लाल देवी प्रदास  
हूश्री बीता मातन प्राण विद्युनपुर धामा करवा  
लका मय मगद उ.प्र. -

शीकात जी - वान हवा देवरात 1

Serial No. 225012  
Certified that the foregoing statement  
sworn before me this day at Jhansi  
by Shri/Smt. Radhika Devi  
to whom the contents of this affidavit have  
been read over and explained and who  
is identified by Shri. Shikhat Jee  
Received the fee of Rs. 10/-

RAGHUVIR SINGH YADAV  
ADVOCATE  
NOTARY JHANSI, U.P.  
16/11/15



## कार्यालय आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।

संख्या- १४४ / 25-जे0ए0-11 (2016-17)

दिनांक : जनवरी 16, 2017

जिला सूचना अधिकारी,  
झांसी।

विषय- इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन, 2017 हेतु नामांकन पत्र प्राप्त होने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय पर यह कहना है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2017 इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिभाग हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक 16-01-2017 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं :-

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	सैट की संख्या
1	श्री जंग बहादुर सिंह पटेल	01
2	श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी (पूर्व विधान परिषद सदस्य)	03
3	श्री लवकुश कुमार मिश्र (पूर्व विधान परिषद सदस्य)	04
4	श्री अशोक कुमार राठौर	03
5	श्री लाल बिहारी यादव	02

2- नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र, जिसमें उनकी सम्पत्ति एवं आपराधिक इतिहास प्ररूप-26 पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे एक प्रति में आपको इस आशय से भेजा जा रहा है कि उक्त विवरण को दो स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

(उर्मिला देवी सोनकर खाबरी)  
सहायक रिटर्निंग आफीसर,  
इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र /  
अपर आयुक्त (प्रशासन),  
झांसी मण्डल, झांसी।

संख्या- १४१ / 25-जे0ए0-11 (2016-17)

तददिनांक।

प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, झांसी/नोडल आफीसर को आज प्राप्त नामांकन पत्रों के प्ररूप-26 तथा अतिरिक्त शपथ पत्र की प्रति इस आशय से संलग्न कर भेजी जा रही है कि उक्त शपथ पत्र को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ की वेबसाइट पर स्कैन कराकर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(उर्मिला देवी सोनकर खाबरी)  
सहायक रिटर्निंग आफीसर,  
इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र /  
अपर आयुक्त (प्रशासन),  
झांसी मण्डल, झांसी।